

क्रमांक: एफ.4()पौ.सं./तक-II/LC/दर अनु./2020-21/ 3459-3712 दिनांक : 31-05-2021

1. मैसर्स एग्रोकॉगिंग पेस्टीसाइड्स प्रा. लि., जयपुर
2. मैसर्स सेन्ट्रल इन्सेक्टीसाईड एण्ड फर्टिलाइजर्स, जयपुर
3. मैसर्स मेवाड़ पेस्टीसाइड्स एण्ड फर्टिलाइजर प्रा.लि., उदयपुर
4. मैसर्स त्रिवेणी एग्रो इण्डस्ट्रीज, अजितगढ़, सीकर
5. मैसर्स सीरोट सीड एण्ड केमिकल्स प्रा.लि., हनुमानगढ़ जंक्शन
6. मैसर्स हरेनबा इण्डस्ट्रीज लि., बोरीवली (वेस्ट) मुंबई

विषय :- विभागीय कार्यक्रमों में वर्ष 2020-21 में एक वर्ष हेतु पौध संरक्षण रसायनों की अनुमोदित दरों की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- आयुक्तालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 8110-8219 दिनांक 15.06.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा कृषि विभाग की विभिन्न योजनान्तर्गत पौध संरक्षण रसायन कृषकों को विभागीय दिशा निर्देशानुसार अनुदान पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्पादवार न्यूनतम दरों का अनुमोदन किया गया था, जिनकी वैधता अवधि दिनांक 07.06.2021 तक नियत है। उक्तानुसार अनुमोदित दरों को RTPP Act 2012 एवं RTPP नियम 2013 के नियम 29 (I) में उल्लेखित प्रावधानानुसार तीन माह (07 सितम्बर, 2021 तक) या वर्ष 2021-22 के लिए दर अनुबन्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक वैधता अवधि बढ़ायी जाती है।

(डॉ. ओम प्रकाश)

आयुक्त कृषि

क्रमांक: एफ.4()पौ.सं./तक-II/LC/दर अनु./2020-21/ 3459-3712 दिनांक : 31-05-2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजफैड, भवानी सिंह रोड़, जयपुर।
6. आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक, आर.ए.सी.पी., दुर्गापुरा जयपुर।
9. जिला कलेक्टर (समस्त)
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प (समस्त)
11. निदेशक, आत्मा, राजस्थान, जयपुर।
12. अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान) मुख्यालय जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक कृषि (रसायन/योजना/उर्वरक/ पौध संरक्षण/गु. नि./ज.उ.प्र./शस्य एटीसी/प्र.एवं मू./सांख्यिकी)/उप निदेशक कृषि (अभियांत्रिकी, सूचना, विस्तार)
14. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड (समस्त).....
15. परियोजना निदेशक, सी.ए.डी., कोटा
16. उप सचिव, किसान आयोग, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर।
17. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद (समस्त)/आई.जी.एन.पी. बीकानेर।
18. परियोजना निदेशक, आत्मा (समस्त).
19. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) (समस्त)।
20. जिला विस्तार अधिकारी, कोटा/बून्दी/सुलतानपुर/मोहनगढ़/बज्ज, कृषि अधिकारी, बीकानेर।
21. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को भेजकर अनुरोध है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(डॉ. सुवा लील जाट)

संयुक्त निदेशक कृषि (पौ.सं.)